संख्या-365/2017/63/22-2-2017-17(98)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 25 मई, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी करिया उर्फ कैरा पुत्र स्व0 सुमेरा निवासी जनपद-बांदा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197213/पर-2 सलाहकार समिति/ (एम0-22-12-2016) दिनांक-03-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी केन्द्रीय केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी करिया उर्फ कैरा पुत्र स्व0 सुमेरा, निवासी-ग्राम-पपरेन्दा, थाना-चिल्ला, जनपद-बांदा का रहने वाला है। घटना से लगभग 06 माह पूर्व बन्दी ने चुनवा से रूपये 350/- उधार लिये थे। उधार दिये गये पैसे मांगने पर बन्दी ने चुनवा को मारा-पीटा। दिनांक 08.07.1980 को प्रातः काल में वह रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, तभी रास्ते में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बरछी से मारकर चुनवा की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-340/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 323 के अन्तर्गत मा0 द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बांदा के आदेश दिनांक 26.03.1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलहाबाद के आदेश दिनांक 11.03.2003 द्वारा सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.12.2016 तक 14 वर्ष 11 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 09 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु लगभग 68 वर्ष है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध दो परिवारों की मध्य दुश्मनी का होने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने तथा बन्दी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पीठासीन अधिकारी मा0 द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट सं0-2), बांदा का अभिमत है कि जेल की आख्या के अनुसार जेल में अभियुक्त् का आचरण सन्तोषजनक रहा है तथा पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सिद्धदोष बन्दी का परिवार मजदूरी पेशा है, जिसकी सामाजिक आर्थिक दशा बहुत अच्छी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को समयपूर्व रिहा किया जा सकता है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है कि घटना से लगभग 06 माह पूर्व बन्दी ने चुनवा से रूपये 350/- उधार लिये थे। उधार दिये गये पैसे मांगने पर बन्दी ने चुनवा को मारा-पीटा। दिनांक 08.07.1980 को प्रात: काल में वह रिपोर्ट लिखाने जा रहा था, तभी रास्ते में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी व बरछी से मारकर चुनवा की हत्या कर दी। बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध की सम्भावना है, पीडित पक्ष में आक्रोश उत्पन्न होने एवं कोई भी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना है। इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत शेष सजा का परिहार करते हुए सिद्धदोष बन्दी करिया उर्फ कैरा पुत्र स्व0 सुमेरा को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी करिया उर्फ कैरा (बन्दी संख्या-2832/03) पुत्र श्री स्व0 सुमेरा, निवासी जनपद-बांदा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-365/2017/63(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in